सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 54/2018 अपील (RCMS/2018/00060)
पंजीयन दिनांक – 03.05.2018
निर्णय दिनांक – 28.08.2018

1. उमरडा डेवलपर्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौरव बाबेल पिता श्री ललित, जाति जैन, निवासी न्यू भूपालपुरा, उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी पत्नि श्री आलिया, जाति मीणा, निवासी ग्राम आंजनी, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर।
2. श्री होमा पिता पीथा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती नोजी बाई पत्नि स्व. श्री भेरा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. सोहनी बाई पुत्री स्व. श्री भेरा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्री नाथू पिता स्व. श्री भेरा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती नानी पत्नि स्व. श्री देवा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्री केसू पिता स्व. श्री देवा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. श्री सुरेश पिता स्व. श्री देवा, जाति मीणा, निवासी आम्बूआ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सुखराम डिडेल — वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या–1

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का प्रकरण संख्या 13/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2018

निर्णय

दिनांक 28.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का प्रकरण संख्या 13/2016 निर्णय दिनांक 18.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी ने अपील अधीनस्थ न्यायालय, गिर्वा में ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्वा स्थित भूमि के नामान्तरण संख्या 478 दिनांक 05.09.2006 व ग्राम आम्बूआ, तहसील गिर्वा की भूमि के नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 27.02.2008 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–2 से 8 प्रतिवादी थे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या–1 ने यह कहते हुए अपील प्रस्तुत की कि वह एवं रेस्पोडेंटस एक ही परिवार के होकर मूल पुरूष स्व. पीथा जी के वंशज है। स्व. पीथा मीणा के तीन पुत्र भेरा, सवा एवं होमा हुए। जिसमें से भेरा एवं सवा का स्वर्गवास हो गया जबकि होमा जीवित है। रेस्पोडेंट संख्या–1 स्व. सवा की एकमात्र विधिक वारिसान है। पीथा मीणा के स्वर्गवास उपरान्त ग्राम उमरडा के खाता संख्या 337 कुल किता 18 रकबा 2.0250 हैक्टर में निहित उसके 1/3 हिस्से एवं ग्राम आम्बुआ के खाता संख्या 32 कुल किता 15 रकबा 1.9700 हैक्टर भूमि में निहित उनके 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण विरासत से उनके जायन्दा पुत्र भेरा, सवा एवं होमा के नाम खोला गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने सवा पिता पीथा मीणा के स्वर्गवास उपरान्त नामान्तरकरण 478 दिनांक 05.09.2006 एवं नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 27.02.2008 को स्वीकृत कर दिया। जिसमें सवा जी के स्वर्गवास उपरान्त विधिक वारिसान में उनकी पत्नि श्रीमती गौरी के जीवित होने के बावजुद विधिक वारिसान की जांच किये बिना स्वीकृत उक्त नामान्तरकरणों को निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 478 एवं 59

को निरस्त कर तहसीलदार, गिर्वा को प्रश्नगत भूमि में रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी के नाम उनके हिस्सेनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 14.08.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी ने अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की, उसमें रेस्पोडेंट की उपस्थिति व वकालत पत्र कब प्रस्तुत किया गया इस बात का फर्द अहकाम में लिखे बिना ही पत्रावली में पेशियॉ बदली गयी तथा दिनांक 10.01.2018 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील की शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी आगामी तारिख पेशी दिनांक 18.01.2018 को श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी व रेस्पोडेंट संख्या–2 से 8 के बीच आपसी समझौते के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.01.2018 पारित किया गया जो न्याय व विधि के विपरित होने से निरस्त योग्य है। रेस्पाडेंट ने आपसी सांठगाठ, मिली भगत कर अपील को सहमति के आधार पर स्वीकार करवाया जबकि रेस्पोडेंट संख्या–2 से 8 तक ने अपनी–अपनी भूमि अन्य खातेदारों को विक्रय कर दी। इन तथ्यों को छिपाते हुए वर्तमान अपीलान्ट एवं सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपील निरस्त करना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी ने अपने आप को श्री सवा पिता पीथा मीणा के पत्नि बताकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जबकि श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी की शादी सवा जी के साथ निवास करने से पूर्व एक अन्य व्यक्ति से हुई जिससे एक पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया तथा पूर्व के पति व पुत्र–पुत्री को छोडकर सवा जी के साथ अवैध रूप से निवास करना बताया। सवा जी से श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी को काई संतान उत्पन्न नहीं हुई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में रेस्पोडेंटस् के वारिसान के सजरे की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि स्वर्गीय श्री गुला के तीन पुत्र पीथा, रूपा व होमा हुए तथा मौजा उमरडा व आम्बूआ की प्रत्येक आराजी में प्रत्येक का 1/3 वां हिस्सा गुलाजी की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुई। पीथा जी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान भेरा, सवा व होमा के नाम राजस्व रेकार्ड में पीथा जी का सम्पूर्ण

1/3 वां हिस्सा दर्ज हुआ। उसके वाद सवाजी की मृत्यु होने पर सवाजी साथ रहने वाली महिला गौरी उर्फ गौरकी सवा की घर छौड़कर श्री आलिया पिता देवाजी, निवासी आंजनी, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर के साथ नाता विवाह/पुर्नविवाह कर लिया। तब से आज तक श्री आलिया पिता देवाजी के घर पर उसकी पत्नि बनकर रह रही है। रेस्पोडेंटस् संख्या–1 से 8 के मन में बेईमानी आने से श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी को सवाजी की पत्नि बताकर, तथ्यों को छिपाते हुए गलत तरिके से म्यूटेशन निरस्ती की अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से स्वीकार करवाने में भारी कानूनी चुकी की है। मुल पुरूष गुलाजी थे, जिनके तीन पुत्र–पीथा, रूपा, हेमा हुए जिनके सभी वारिसान, क्रेताओं, सहखातेदारों ने आपसी सहमति से लिखित रूप से एक बंटवारानामा 100/–रू. के स्टाम्प पर निष्पादित कर तहसीलदार, गिर्वा, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली को स्थानान्तरित कर बंटवारे की कार्य नायब तहसीलदार गिर्वा को दिया गया। जिसके प्रकरण संख्या 116/2009 में सभी पक्षों के हस्ताक्षर करवाते हुए, आपसी सहमति व लिखित बंटवारा के आधार पर मौजा उमरडा की आराजी नम्बर 6626, 6649 से 6659, 6661 से 6664, 6679, 6680 कुल किता 18, रकबा 2.0250 हैक्टेर भूमि का बंटवारा दिनांक 13.10.2009 को निष्पादित कर सभी खातेदारों, सहखातेदारों, क्रेताओं के नाम अलग–अलग खसरों का बंटवारा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया, उसके बाद सभी खातेदारों ने सक्षम अधिकारी, उप जिलाधीश, गिर्वा, उदयपुर से अपने–अपने खसरों का कृषि से आवासीय रूपान्तरण करवा लिया गया तथा उसकी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपने कथन में कहा कि सभी खातेदारों ने आपसी बंटवारा के बाद भेरा के सभी वारिसान – देवीलाल, नाथुलाल, सोवनी पिता भेराजी व श्रीमती नोजीबाई पत्नि स्व. श्री भेरा ने अपना 1/6वां सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विक्रय पत्र से बाबुलाल पिता श्री भेराजी को विक्रय किया तथा बाबुलाल पिता भेराजी ने जरिये विक्रय पत्र अपना हिस्सा एकलिंग पिता भेरा को विक्रय कर दिया। एकलिंग पिता भेरा ने आराजी न. 6661 रकबा 0.0950 हैक्टेर व 6652 मीन, रकबा 0.1050 हेक्टेयर को तहसीलदार, गिर्वा के समक्ष कृषि से आवासीय भूमि हेतु आवेदन कर भूमि का आवासीय रूपान्तरण करवाया गया उसके बाद एकलिंग पिता भेरा ने जरिये विक्रय पत्र से अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया। फिर भी तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय से आपसी सहमति से निर्णित कराने में कानूनी भूमि की है।

वकील अपीलान्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दो अलग–अलग खसरों व गावों के आराजी की एक ही म्यूटेशन की

अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर आपसी सहमति से म्यूटेशन निरस्त करवाया गया जबकि प्रत्येक म्यूटेशन निरस्ती की अलग–अलग अपील होना अति आवश्यक है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों म्यूटेशनों की एक ही अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में आवासीय भूमि के रूप में अंकन हो जाने से रेस्पोडेंट संख्या–1 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाया जाना था एवं उपरोक्त तथ्यों का हवाला दिया जाना था, परन्तु यह नहीं किया गया। साथ ही श्रीमती गौरी उर्फ गौरकी सवा की मृत्यु के उसे छोड़कर ग्राम आंजनी, तहसील लसाडिया में आलिया पिता देवा से पुर्नविवाह/नाता कर उसके साथ पत्नि के रूप में रह रही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करते हुए उसका निवास स्थान आम्बूआ तहसील गिर्वा बताया, मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्ट ने रूपा पिता गुलाजी के वारिस केसा व केसा की मृत्यु के बाद उसके वारिस गमाना, बेवा श्रीमती वरदी के हक में 1/3वां हिस्से का नामान्तरकरण खोला गया तथा आपसी बंटवारा दिनांक 13.10.2009 के अनुसार केसाजी के वारिसान के हक खसरा नम्बर 6656/1 रकबा 0.0420 हैक्टेर, 6658/1 रकबा 0.0900 हेक्टेर, 6680/1 रकबा 0.0400 हेक्टेर, कुल रकबा 0.1700 हेक्टेर एवं आराजी नम्बर 6662 रकबा 0. 1700 हेक्टेयर आवासीय भूमि को अपीलान्ट के क्रय की थी। इसके साथ ही हेमा पिता गुला के वारिसान पुत्री श्रीमती लाली आदि के हिस्से की भूमि जो कि आराजी नम्बर 6659 रकबा 0.0700 हेक्टेर आवासीय भूमि का विक्रय अपीलान्ट के हक में किया गया। इसलिए अपीलान्ट ही उक्त खसरे का मालिक काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। आपसी सहमति से पारित आदेश की जानकारी पटवारी सें बाद में प्राप्त होने पर देरी क्षमा हेतु अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. मयाद कण्डोन हेतु प्रस्तुत किया है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2018 को निरस्त किये जाकर मौजा उमरडा का नामान्तकरण संख्या 478 एवं मौजा आम्बूआ का नामान्तरकरण संख्या 59 को बहाल करने का आदेश फरमाये जाने बाबत अनुरोध किया है।

विद्धान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट उक्त मामलें में नामान्तरकरण में पक्षकार नहीं थे तथा नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहा पेश की गयी उसमें भी अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे तथा यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होते हुए भी पेश की है जो पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट ने इस मामले में अपील पेश करते समय धारा 96 जा.दी. का अपील पेश करने के पूर्व स्वीकृति प्रदान कराये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा बिना ईजाजत प्राप्त किये सीधे ही अपील पेश कर गई।

अपीलांट की अपील इस आधार पर निरस्त की जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा उसे अपील पेश करने के सम्बन्ध में कोई लोकसस्टैण्डाई नहीं है तथा ऐसे मामले में धारा 96 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्ट को कथित अपील करने का अधिकार नहीं है। अगर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से उसके कोई हक अधिकार प्रभावित होते है तो वे कथित आदेश को सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज कर अपने हक अधिकारों को तय करा सकते है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण खोलने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना दी जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि कथित जमीन से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस म्यूटेशन को चैलेन्ज किया गया है, वह म्यूटेशन अनुसूचित जनजाति की भूमि है तथा उसके सम्बन्ध में स्वर्ण जाति वाले को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इस हेतु उसे सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने अपने हक अधिकारों को तय करा सकते है। उप जिला कलक्टर के समक्ष सवा के स्वर्गवास होने पर उसकी पत्नि के नाम नामान्तरकरण खुलने से रह गया था जबकि सवा पिता पीथा की पत्नि श्रीमती गौरी को वारिस बता रखा है तथा सजरा भी दिया गया है परन्तु गौरी के बजाय सवा के स्वर्गवास होने पर उसके कोई वारिस होना नहीं कहकर भेरा होमा ने स्वर्गीय सवा की जमीन अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जो गलत होकर काबिल निरस्त के होने से उपखण्ड अधिकारी ने कथित मामलें को रिमाण्ड किया जो बिल्कुल उचित है तथा उसके विरूद्ध अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, जानबुझकर दो नामान्तकरण सजरे में सवा वारिसान के रूप में श्रीमती गौरी को वारिस नहीं बताया गया है जबकि एक नामान्तरकरण में श्रीमती गौरी को सवा की पत्नी बताकर मृतक सवा के बजाय उसकी पत्नी के नाम खाता खोलने के आदेश पारित किया गया व मामला रिमाण्ड किया गया, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई चुक नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में अपील इसी स्टेज पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपने कथन में कहा कि गौरी स्वतन्त्र रूप से सवा की पत्नि बन कर रह रही है वह आलिया की पत्नि बनकर नहीं रह रही है। सभी रेस्पोडेंट ने कभी कोई सांठगाठ नहीं की है, गौरी को कथित आदेश के विरूद्ध अपील करने का पूर्ण अधिकार होने से ही अपील पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु अपील की गई क्योंकि सवा के स्वर्गवास होते ही सवा की जायदाद श्रीमती गौरी अकेली वारिस होने से उसमें वेस्ट हो गई और परन्तु सवा के भाईयों ने तथ्य छुपाकर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कराये जो निरस्त किए गए। अगर अपीलान्ट का कोई हक अधिकार लगता है तो वह तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्तियॉ पेश करता परन्तु नहीं की गईं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये है–

2008(2) S.S.C. P. 610 (SC), A.I.R. 2008 S.C. P. 1467 (S.C.), A.I.R. 2009 Bom. P. 58 (B.H.C.)] R.B.J. 2009 P 204, R.B.J. 2009 P 208, R.B.J. 1998 P 43, R.B.J. 2014 P 74, R.B.J. 2015 P 232, R.B.J. 2017 P 537, R.B.J. 2012 P 82, 85 & 745, AIR 2011 P 1237, R.B.J. 2006 P 78, R.B.J. 2002 P 318, R.B.J. 2007 P 207, R.B.J. 2010 P 289, R.L.W. 2001(2) P 923, R.B.J. 2008 P 622, AIR 2002 SC P 204, R.R.D 1985 P 584

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों में मध्य राजीनामा होने से विवादित नामान्तकरण निरस्त कर तहसीलदार गिर्वा को प्रश्नगत भूमि में श्रीमती गौरी के नाम उनके हिस्से अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने दृढ़ता से यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति के जांच नहीं की, न सम्बन्धित रेकार्ड की तलब किया गया, न श्रीमती गौरी के अधिकारों की जांच की गई। साथ ही प्रकरण में खातेदारों द्वारा एवं उनके वारिसान द्वारा अपनी अपनी भूमियॉ अन्य खातेदारों एवं अपीलान्ट को विक्रय कर कर दी गई जिनके नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जा चुके है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के चालु राजस्व रेकार्ड के अनुसार जिन लोगों के नाम का अंकन है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस पर विचार नहीं किया गया है। दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपने तर्क प्रस्तुत किये, जिनका वर्णन पूर्व में किया गया है। जिससे तथ्यों में विरोधाभास प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण में सभी तथ्यों का पूर्णतया विश्लेषण किया किया जाना प्रतीत नहीं होता है। विवादित भूमि में वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति अनुसार खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 18.01.2018 पारित किये जाने दौरान उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, गौरी की गल्कियत एवं पुर्नविवाह/नाते जाने की स्थिति देखकर, विवादित समझौते की स्थिति को देखकर, समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 18.01.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गौरी की मल्कियत एवं पुर्नविवाह/नाते जाने की स्थिति देखकर, विवादित समझौते की स्थिति को देखकर, समस्त को पुनः उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर